डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा०/136/2025 दिनांक : 19/03/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, आवासीय संस्थान।
3. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय। डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक, शासन द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 के उपरान्त प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्तर पर नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है।

अतएव आप सभी से अपेक्षित है कि शासन द्वारा प्रदत्त निम्नांकित बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर नशा उन्मूलन विषयक सेमिनार, कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें चिकित्सक, पुलिस अधिकारी एवं काउंसलर को आमंत्रित किया जाए।
2. "Say No to Drugs" विषय पर रैली, पोस्टर, स्लोगन एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए।
3. काउंसलिंग सेल का गठन कर छात्र–छात्राओं को आवश्यक परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया जाए।
4. खेल, योग एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए।
5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) के माध्यम से नशा मुक्ति से संबंधित संदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
6. महाविद्यालय स्तर पर एण्टी ड्रग्स समिति का गठन किया जाए।
7. छात्र–छात्राओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन एवं समाज में नशा उन्मूलन हेतु सहयोगात्मक प्रयास किए जाएं।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (DSW) विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर (Residential Wing) के छात्र–छात्राओं हेतु उपर्युक्त गतिविधियों आपने निर्देशन में करवायेगें साथ ही अधिष्ठाता, छात्र कल्याण समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्यो के महाविद्यालयों में भी प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की विस्तृत आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे शासन को निर्धारित समयसीमा में प्रेषण किया जा सके।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
2. उप कुलसचिव–कुलपति सचिवालय/कैम्प कार्यालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी बेव–साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लोगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

प्रेषक,

ई – मेल/तत्काल

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 3167 /2025 – 26 दिनांक – 18 / 03 /2026

विषय – नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 के उपरान्त दिये गये निर्देश के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 को संपन्न बैठक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर नशा रोकने हेतु निम्नवत् उपाय/निर्देश दिये गये हैं –

1. **जागरूकता कार्यक्रम** – विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन। चिकित्सक, पुलिस या काउंसलर को आमन्त्रित कर नशे के नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान किया जाना।
2. **रैली और पोस्टर अभियान** – छात्रों द्वारा "Say No to Drugs" रैली का आयोजन। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पोस्टर, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन।
3. **काउंसलिंग और हेल्प** – विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में काउंसलिंग सेल का गठन।
4. **स्पोर्टस एक्टिविटी** – खेल, योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
5. **सोशल मीडिया अभियान** – इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या महाविद्यालय समूह में नशा मुक्ति से जुड़े संदेश और वीडियो प्रसारित/शेयर करना एवं छात्र – छात्राओं को ड्रग्स के नुकसान के बारे में जानकारी देना।
6. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एण्टी ड्रग्स समिति का गठन।**
7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र – छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं जरूरतमंद लोगों की मदद नशे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासन की बैठक में दिये गये उपाय/निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर **03 कार्यदिवसों** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

18/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 3167-68 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ हेतु प्रेषित –

डॉ0 (शशि कपूर)